ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी
एक ऐसी जीवनपद्धति है
जो किसी जीव को, चाहे वो
भूमि, जल अथवा वायु का हो
भय, पीड़ा अथवा मृत्यु नहीं पहुँचाती

वर्ष X अंक 1, बसंत 2018
करुणा-मित्र
ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी – भारत की पत्रिका
प्राणी अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक धर्मार्थ ट्रस्ट

सम्पादकीय

दृढीकृत खाद्य पदार्थ-फोर्टीफाईड फ़ूड

खाद्य का दृढीकरण अब एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है। हालांकि, कुछेक पैकेज्ड खाद्य निर्माता अब दशकों से खाद्य में पोषक तत्त्व मिलाते आ रहे हैं। उदा : उपभोक्ताओं को गलगंड की बीमारी से बचाने के लिए नमक में आयोडीन मिलाया जाता है।

२०१६ में खाद्यों के दृढीकरण हेतु राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के पश्चात् खाद्य दृढीकरण संसाधन केंद्र की स्थापना की गई। उसकी अनुशंसा के चलते भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने जो जो निर्माता अपने खाद्य उत्पादनों में स्वैच्छिक रूप से पोषक तत्त्व मिलाते थे, उनके लिए खाद्य उत्पाद के पैकेज पर FORTIFIED –दृढीकृत – का लोगो लगाना अनिवार्य किया गया।

दृढीकरण अर्थात् पैकेज्ड खाद्य पदार्थ में पोषक तत्त्वों का, जैसे कि विटामिन, आदि मिलाना। इसका आशय उसका पोषक मूल्य बढ़ा कर यह सुनिश्चित करना है जिससे कि उपभोक्ता के लिए आसानी से विशेष विटामिन प्राप्त हो और पोषण की संभाव्य अपूर्णता कम हो।

पर, क्या किसीने यह पूछा है कि शाकाहारियों को खाद्य उत्पाद पौष्टिक बनाने के लिए उनमें मांसाहारी पदार्थ मिलाना पसंद आयेगा?

सरकारी अनुशंसा के अनुसार नमक का दृढीकरण करने के लिए लौह और आयोडीन मिलाया जाता है। जबकि, गेहूं और चावल में लौह, फोलिक एसिड और विटामिन बी मिलाये जाते हैं और विटामिन ए और डी दूध एवं तेल में मिलाये जाते हैं।

इस बात की कतई कोई गारंटी नहीं है कि सभी माइक्रोन्यूट्रीयन्ट्स या प्रीमिक्स, जिन्हें खाद्य पदार्थ के दृढीकरण के लिए प्रयुक्त किया जाता हैं, हमेशा, ये शाकाहारियों को नैतिक रूप से स्वीकार्य होगा। बीडब्ल्यूसी के द्वारा पूछे जाने पर लगभग किसी भी निर्माता ने प्रत्युत्तर नहीं दिया। एक ने जवाब दिया कि उनके प्रीमिक्स सिंथेटिक है, परन्तु, प्रयोगशाला में निर्मित घटक, आवश्यक नहीं है कि शत प्रतिशत शाकाहारी हो। हमारे द्वारा यह कहने पर उक्त निर्माता ने बीडब्ल्यूसी को उत्तर नहीं दिया।

अत: बीडब्ल्यूसी ने FSSAI को दो उदाहरण देते हुए लिखा कि गेहूं, चावल और नमक के दृढ़ीकरण के लिए सांड के हेमोग्लोबिन कोंसंट्रेट का प्रयोग हीम-लौह (Heme-Iron) के रूप में और फोलिक एसिड का प्रयोग चावल, आटे और मैदे के दृढ़ीकरण के लिए होता है, जोकि प्राणियों के कलेजे से प्राप्त किया जा सकता है।

नतीजतन, FSSAI ने तुरंत ही (३१ मई २०१७ को) हीम-लौह को लौह के स्रोत के तौर पर दृढ़ीकरण घटक के रूप में प्रतिबंधित करने के निर्देश जारी किये। यह वाकई अच्छी बात थी, परंतु, अन्य प्राणिज घटक पर प्रतिबंध का कोई उल्लेख नहीं किया गया।

दृढ़ीकरण घटक प्राणिज या अप्राणिज कुछ भी हो सकते हैं, बीडब्ल्यूसी को अचरज़ होता है कि जिस पैकेज्ड खाद्य के ऊपर निर्माता शाकाहारी खाद्य का हरा चिह्न लगाते हैं, क्या वे उक्त खाद्य में मिलाये जाने वाले पौष्टिक तत्त्व के मूल की जांच करने का कष्ट करेंगे? और यदि बाद में पता चला कि वह पौष्टिक तत्त्व प्राणिज था, तो क्या वे उस खाद्य पर ब्राउन/भूरा चिह्न लगा कर उस खाद्य को मांसाहारी घोषित करेंगे? हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये चिह्न निर्माताओं के द्वारा स्वयं दिये गये प्रमाणपत्र हैं।

FORTIFIED
SAMPOORNA POSHAN
SWASTH JEEVAN

मिलाये गये पोषक तत्त्व चाहे प्राणिज हो या अप्राणिज, सभी दृढीकृत पदार्थ पर लगने वाला नीला चिह्न सिर्फ इतना ही संकेत देता है कि उत्पाद को किस पौष्टिक तत्त्व के द्वारा और कितनी मात्रा में दृढीकृत किया गया है। किसी भी सूरत में उपभोक्ता इस बारे में निश्चित नहीं होगा कि प्रयुक्त दृढ़ीकरण घटक शाकाहारी है या मांसाहारी।

अब केवल एक ही आशा की किरण बची है। वह यह कि जो लोग प्रतिदिन उपयोग में लाये जानेवाले खाद्य पदार्थ में प्राणिज घटक होने की संभावना के साथ उसका उपभोग करने का अवसर नहीं लेना चाहते। शासन ने अब तक खाद्य पदार्थ को दृढीकृत करने के कोई निर्देश जारी नहीं किये हैं। हालांकि, उसके लिए दिशानिर्देश और मात्रा निर्धारित हैं। यह निर्माता के ऊपर निर्भर है कि वह अपने उत्पादों को दृढीकृत करे या नहीं। इससे हमें दृढीकृत वस्तुएं खरीदनी है या नहीं, यह तय करने की आज़ादी मिलती है।

अंतिम, पर कम महत्त्वपूर्ण नहीं, अपने खुद के लाभ के लिये हमें खाद्य सामग्री के लेबल पढने की आदत डालनी चाहिए। क्योंकि, खाद्य सामग्री में मिलाये जाने वाले योगज का प्रमाण बढ़ता जा रहा है। (उनमें से अधिकांश प्राणिज हो सकते हैं) जब भी आप इस विषय में अनिश्चित हो, तब बेहतर यही होगा कि आप उसे न खरीदें, न उपभोग करें।

भरत कापडीआ
संपर्क: *editorkm@bwcindia.org*

प्राणियों के केश से निर्मित ब्रश

सूअर को जबरन एक व्यक्ति के पैर के नीचे दबाए रख कर दर्दनाक तरीके से उसके बाल झटके के साथ दूसरे व्यक्ति के द्वारा उखाड़ लिए जाते हैं – **निर्मल निश्चित**

विश्वभर में अप्राणिज बालों से निर्मित और बेचे जाने वाले ब्रश की संख्या सूअर, डुक्कर और जंगली सूअर के कड़े बालों से निर्मित होने वाले ब्रश की अपेक्षा काफी कम है। अधिकांश लोगों को यह पता तक नहीं है कि प्राणियों के बाल से निर्मित ब्रश उन पर ढायी जाने वाली यातना और शोषण का उत्पाद है।

कलाकारों के ब्रश

सौन्दर्य प्रसाधन और कलाकारों के ब्रश बिज्जू, भालू, बिल्ली, गाय, हिरन, कुत्ते, बकरी, नेवले, बंदर, डुक्कर, टट्टू, खरगोश, सेबल, भेड़ और गिलहरी जैसे विभिन्न प्राणियों के उखाड़े गये बालों से बनते हैं। ब्रश में दो या तीन विभिन्न प्राणियों के बाल भी हो सकते हैं।

स्कूली बच्चों के द्वारा प्रयुक्त पेंट बोक्स के अधिकांश ब्रश में भारतीय सेबल, वस्तुतः नेवले के बाल होते हैं। बीडब्ल्यूसी की भारत सरकार को लगातार शिकायतों के चलते नेवला वन्यजीवन कानून के अंतर्गत सुरक्षित प्राणी हुआ हैं। २००२ में भारतीय वन्यजीवन न्यास की सहायता से प्राय: एक ही समय पर राष्ट्रव्यापी छापों में अवैध रूप से मारे गये कम से कम, ५०,००० पशुओं की खालें पायी गयीं।

नेवले के बालों का ब्रश

नेवला

कृत्रिम बालों का ब्रश

हालांकि, कलाकारों के ब्रश (जोकि, नेवले के बालों से निर्मित होते हैं) का व्यापार धड़ल्ले से बढ़ता जा रहा हैं। खरीदारों को यह पता ही नहीं होता है कि वे किस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, या इनमें प्रयुक्त बाल किस तरह पाये जाते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में बालों के लिए नेवलों का दर्दनाक तरीके से शिकार किया जाता है, उन्हें फांसा जाता हैं, पथ्थर मार कर या पिट पिट कर मारा जाता है। भारत से बालों की तस्करी कर उन्हें नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते मध्य-पूर्व, यूरोप और अमरिका भेजा जाता है।

तकरीबन ४० ग्राम बाल ताज़ा मारे गये एक नेवले के गर्म शरीर से (हाथ से खिंच कर उखाड़ कर) पाए जाते हैं। इन में से लगभग ५०% अथवा २० ग्राम ही पेंट ब्रश के लिए उपयोगी गुणवत्ता के बाल मिल पाते हैं। इस प्रकार एक किलोग्राम उपयोगी बालों के लिए ५० नेवले अपनी जान गंवाते हैं।

भारत में आयातित कड़े ब्रश भी बिकते हैं: टट्टू के बाल के, कुदरती और सफ़ेद कड़े बाल (सूअर/डुक्कर के बाल) वाले कलाकारों के ब्रश टट्टू के बाल सस्ते और मोटे होते हैं और ढंग से काम भी नहीं करते हैं। कभी-कभार इनके साथ गिलहरी के बाल भी मिलाये जाते हैं। टट्टू के बाल के लेबल वाले पेंट ब्रश वास्तव में नेवले, गिलहरी और गाय जैसे अन्य प्राणियों के हो सकते हैं।

कृत्रिम बालों वाले ब्रश आसानी से उपलब्ध हैं, अत: स्वविवेक रखने वाले लोगों को ऐसे ब्रश का विकल्प चुनना चाहिए।

डुक्कर के ऊपर अत्याचार

दीवार पेंट करने के प्राणी के बाल वाले ब्रश, जिनके उपर कुदरती अथवा शुद्ध निशानी होती है, ऐसे ब्रश में जंगली सूअर, डुक्कर और शूकर के कड़े बाल होते हैं। ये बाल काले, सफ़ेद और मिश्रित रंगों के होते हैं। निर्माण प्रक्रिया के अनुसार इन्हें उबले, धुले या विरंजित कहा जाता है।

डुक्कर को उनके मांस और कड़े बालों के लिए पाला जाता हैं। इसी कारण से उन्हें नगर की सीमा में झोंपड़पट्टी के इर्दगिर्द घुमते हुए, कूड़ेदानी से कूड़ा-करकट खाते हुए पाया जाता हैं। ऐसे स्रोत से ताज़ा पोर्क (सूअर का मांस) आसानी से उपलब्ध होता है। छोटे छोटे सूअर-खानों के द्वारा इसकी आपूर्ति भी की जाती है। इन सूअर-खानों से दिल दहला देने वाले चीत्कार नियमित रूप से सुनाई देते हैं।

प्राणी से प्राप्त सभी उत्पादों में शायद सर्वाधिक क्रूर और सब से कम ज्ञात तरीका पेंट ब्रश के लिए सूअर के बाल उखाड़ना है। झोंपड़वासियों के द्वारा अत्यंत निर्दयता पूर्वक बाल निकाल कर ब्रशनिर्माताओं को इनकी आपूर्ति की जाती है। सूअर को जबरन एक व्यक्ति के पैर के नीचे दबाए रख कर दर्दनाक तरीके से उसके बाल झटके के साथ दूसरे व्यक्ति के द्वारा उखाड़ लिए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सूअर अपने पूरे होशो-हवास में दर्द के मारे चीखता रहता है। काटे हुए कड़े बालों की तुलना में खींचे गये बालों की कीमत दुगनी होती है।

समग्र भारत की सूअर की कुल आबादी के २८% NEH (उत्तर-पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र) में पाए जाते हैं। २०१३ में ICAR (भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद) के अनुमान के अनुसार संगठित क्षेत्र में प्रति वर्ष १५.३५ लाख सूअरों का क़त्ल होता था। चूंकि, स्वदेशी सूअर से उच्च गुणवत्ता के ३००-४०० ग्राम कड़े बाल मिलते थे,

सूअर के बालों का ब्रश

सूअर

कृत्रिम बालों का ब्रश

ICAR ने महसूस किया कि उत्तर-पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में प्रति वर्ष १० हजार से १२ हजार क्विंटल सूअर के बाल निर्मित किये जा सकते थे। अत: उसने बाल उखाड़ने और प्रोसेस करने के ज़रिये प्रथम धूल दूर करते हुए (वाहिका एवं मोम), माइक्रोब्स एवं परोपजीवी अण्डों को २ घंटों तक उबाल कर नष्ट कर, सूखा कर, विरंजित (ब्लीच) कर, नर्म कर और रंगविहीन, आदि प्रक्रिया कर बाल प्राप्त करने की कार्यप्रणाली विकसित की। इसके फलस्वरूप इनमें से दाढ़ी बनाने के ब्रश, प्रसाधन ब्रश, कोट और जेकेट, धुलाई, जूते, कालीन, फर्निचर/उपकरण सफाई और बालों के ब्रश सौभाग्यवश, इन तथाकथित मूल्यवर्धित उत्पाद का कोई लेने वाला नहीं निकला।

सभी प्रकार के ब्रश सूअर के कड़े बालों से निर्मित होते हैं, परन्तु, इन सभी में सर्वाधिक सामान्य दीवार रंगने वाले ब्रश हैं। द ब्रिसल हेयर एंड ब्रश मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन (कानपुर) ने बीडब्ल्यूसी को बताया कि भारत भर में देशी सूअरों को मांस और कड़े बालों के लिए घरेलू रूप से पाले जाते हैं, जिसके लिए शासन ऋण मुहैया कराता है। ऐसे अधिकांश सूअर उत्तर प्रदेश में हैं, प्रति सूअर हर वर्ष कड़े बालों की प्राप्ति लगभग २५० ग्राम होती है। कड़े बाल ग्रामीण व्यापारी एकत्रित करते हैं, जोकि, उल्लेखनीय मात्रा में होते ही बाज़ार/मेले में निर्माता को बेच देते हैं, जिन्हें हाट/बाज़ार या मेले के नाम से जानते हैं।

बीडब्ल्यूसी ने बारबार सरकार का ध्यान कड़े बाल पाने के लिए सूअरों के उपर होने वाली बेतहाशा क्रूरता की ओर आकर्षित किया था और निवेदन किया था कि सूअर के बालों के आयात-निर्यात को प्रतिबंधित किया जाये।

गत वर्ष सूअर के कड़े बालों का निर्यात यूरोपीय संघ में करने की अनुमति पोतलदान अनापत्ति प्रमाणपत्र और उत्पादन प्रक्रम प्रमाणपत्र शर्त के अधीन दी गई थी, जोकि वस्तुतः भारत से यूरोपीय संघ में प्राणी के गौण उत्पाद निर्यात करते समय बरती जाने वाली औपचारिकता के अनुसार है।

उदाहरण के तौर पर कम से कम १२६० सूअरों के ऊपर अत्याचार वाली एक माल-निकासी (कन्साइनमेंट): सितम्बर-अक्तूबर २०१६ में ३० किलोग्राम और पालतू सूअर के ४० मिमि मध्यम कड़े बाल के १० पेक (ब्रश और बाल दोनों मिला कर), जिसका मूल्य ₹२,२०,५६८/- का निर्यात इटली किया गया और अक्तूबर, २०१६ में ₹१८,४८,३४६/- मूल्य के २७५ किलोग्राम ३ ३/४ युपी इन्डियन एक्स्ट्रा स्टीफ़ ब्रिसल नेचरल ब्लेक डोमेस्टिक पिग हेयर (अधिक सख्त कुदरती काले पालतू सूअर के बाल) निर्यात किये गये थे।

भारतीय आयात नीति के अंतर्गत सूअर, डुक्कर और शूकर के कड़े बाल और बिज्जू के बाल एवं याक की पूंछ के बाल भारत में आयात करने की भी छूट है।

क्रूरता की अपेक्षा करुणा को चुनें

कुछेक दीवार रंगने वाले ब्रश अप्राणिज रेशे से बनाये जाते हैं। पुराने दिनों में नायलोन के ब्रश हॉग- शूकर - के बाल के ब्रश से दस गुना महंगे होते थे। लेकिन अब परिस्थिति में बदलाव आया है। अधिक लोग अप्राणिज ब्रश की मांग करने लगे हैं। हमारा मानना है कि बीडब्ल्यूसी के द्वारा सर्जित जागरूकता के कारण ऐसा हुआ है।

रोलर एवं सिंथेटिक ब्रश अब डुक्कर के बालों के ब्रश की तुलना में कम महंगे रह गये हैं। जिससे उपभोक्ताओं को नैतिक चुनाव करने में आसानी हो गई है। ग्राहकों को अनैतिक सस्ते रंगने के साधन की अपेक्षा थोड़ा सा महंगा किंतु, नैतिक और करुणासभर चयन करने को बाध्य होना पड़ता है।

नैतिकता के पहलु के अतिरिक्त प्राणिज बालों के ब्रश का प्रयोग नहीं करने में यह लाभ भी है कि सिंथेटिक मनुष्य के द्वारा निर्मित तार के ब्रश, जोकि, नायलोन अथवा पोलिस्टर से बनते हैं, रासायनिक द्रव्य, पेंट और जीवाणुओं से आसानी से क्षतिग्रस्त नहीं होते हैं, साफ़ सफाई आसान है, उनका आकार भी बना रहता है। साथ ही अधिक टिकाऊ और पेंटिंग के अधिक अनुरूप है।

ब्रश (सख्त कड़े बाल वाले या नर्म-दोनों प्राणिज मूल के) अथवा सिंथेटिक (मनुष्य निर्मित, अप्राणिज), जोकि बाजार में उपलब्ध है। **पसंद हमारी है!**

बीडब्ल्यूसी की एक और उपलब्धि

सोमनाथ में ओशनेरियम की प्रस्तावित योजना रद्द

करुणामित्र के ग्रीष्म-२०१७ के अंक में हमने अपने सम्पादकीय आलेख के ज़रिये आपको सूचित किया था कि गुजरात के प्रमुख तीर्थ और पर्यटन स्थल सोमनाथ में गुजरात सरकार के द्वारा ₹३५० करोड़ की लागत से विश्व का सर्वाधिक बड़ा ओशनेरियम बनाना प्रस्तावित था। बीडब्ल्यूसी की जानकारी में यह सूचना आने पर हमने शीघ्रत: गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी का तत्काल ध्यानाकर्षित करते, हुए हमारे दि. २५ मार्च २०१७ के पत्र के द्वारा इस परियोजना को कार्यान्वयन के पूर्व ही बंद करने की मांग की थी।

हमें सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि हमारे पत्र के प्रत्युत्तर में हमे गुजरात शासन के मत्स्यपालन आयुक्त के दि. १८ जनवरी २०१८ के पत्र के द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव न किया गया है, न ही कोई कार्रवाई की गई है।

हम गुजरात सरकार के इस पुनर्विचार एवं निर्णय हेतु उनकी प्रशंसा करते हैं।

जैन विगन व्यंजन

इस स्तंभ के अंतर्गत जैन विगन व्यंजन बनाने की विधि प्रस्तुत है। यदि आप भी कोई रेसिपी भेजना चाहते हैं, तो पत्र/ई-मेल के द्वारा भेजें। विगन से हमारा तात्पर्य यह है कि शाकाहारी लोगों की ऐसी श्रेणी, जोकि खाने-पीने में प्राणिज पदार्थ से बनी किसी भी वस्तु के प्रयोग से दूर रहते हैं।

टमाटर

टमाटर जैसे जैसे पकते जाते हैं, उसमे विटामिन सी की मात्रा बढती जाती है, अत: यह बेहतर होगा कि पूर्णतया पकने पर ही उन्हें खाया जाएँ। ऐसा एक ही टमाटर खाने पर व्यक्ति के एक दिन की विटामिन सी की आवश्यकता ४०% पूर्ण हो जाती है।

टमाटर में अन्य पोषक तत्त्व और एंटी ओक्सिडंट्स समाविष्ट हैं, जोकि, रोगों के प्रतिकार और स्वास्थ्य बनाये रखने में सहायक होते हैं। प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होने के अतिरिक्त, ये आँखों की रोशनी में सुधार करते हैं। ये पाचन के लिए अच्छे होते हैं, कब्ज़ और दस्त की बीमारी की रोकथाम करते हैं। इनके अन्य लाभों में शरीर में से विषैले द्रव्य प्रभावी रूप से बाहर निकालना है। इनमें लाइकोपिन की मौजूदगी से ये फेफड़े, उदर और प्रोस्टेट के केंसर का खतरा कम करते हैं और हृदवाहिनी के रोगों के सामने सुरक्षा प्रदान करते हैं।

टमाटर भात - टोमेटो राईस

सामग्री

१ कप	चावल
३ बड़े चम्मच	तेल
१ छोटा चम्मच	राई
१/४ कप कच्चे	खोलीदार मूंगफली दाने
१ १/२ कप	टमाटर - बारीक़ टुकडो में कटे
१	हरी मिर्च - बारीक टुकड़ों में कटी
१/४ छोटा चम्मच	हल्दी पाउडर
३ छोटे चम्मच	सांभार पाउडर
	नमक स्वाद अनुसार
१/४ कप	धनिया पत्ते, बारीक कटे
२ कप	पानी

बनाने की विधि

चावल को १५ मिनट तक पानी में भिगोयें और धोएं और एक ओर रखें।

तेल को गर्म करें, उसमें राई डालें जब तेल चटचटाने लगे, उसमें मूंगफली के दाने डालें और हल्की आंच पर १ मिनट तलें, जब तक कि दाने का रंग सुनहरा बादामी हो जाए।

१ कप बारीक कटे टमाटर, मिर्च, हल्दी, सांभार पाउडर, नमक और धनिया पत्ते डालें और धीमी आंच पर तब तक तलें, जब तक टमाटर नर्म हो जाएँ।

२ कप पानी में चावल डाल कर धीमी आंच पर ढक्कन रख कर २० मिनट तक उबालें, जब तक कि चावल नरम हो जाएँ और पानी भांप बन जाए।

चावल को नरमी से हिलाते रहिये। बाकी बचे टमाटर डाल दें और फिर से ढक कर दो मिनट और पकने दें।

पापड़ के साथ परोसें।

बी डब्ल्यू सी द्वारा जांचे-परखे व आस्वाद किये गए स्वादिष्ट व्यंजनों की विधि का संकलन देखने के लिए कृपया *www.bwcindia.org/Web/Recipes/Recipesindex.html* की मुलाकात लें।

प्रकाशक: डायना रत्नागर
अध्यक्षा, ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी - भारत
सम्पादक: भरत कापडीआ
डिझाईन: दिनेश दाभोळकर
मुद्रण स्थल: मुद्रा
383 नारायण पेठ, पुणे 411 030

© करुणा-मित्र का प्रकाशनाधिकार ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी के पास सुरक्षित है। प्रकाशक की लिखित पूर्वानुमति के बिना किसी भी प्रकार से किसी भी मुद्रित सामग्री की अनधिकृत प्रतिकृति करना प्रतिबंधित है।

करुणा-मित्र प्राणिज पदार्थ-रहित कागज़ पर मुद्रित किया जाता है, और प्रत्येक बसंत (फरवरी), ग्रीष्म (मई), वर्षा (अगस्त) एवं शिशिर (नवम्बर) में प्रकाशित किया जाता है।

ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी - भारत
4 प्रिन्स ऑफ वेल्स ड्राइव, वानवडी, पुणे 411 040
टेलिफोन: +91 20 2686 1166 फैक्स: +91 20 2686 1420 ई-मेल: admin@bwcindia.org वेबसाईट: www.bwcindia.org

निजी प्रचलन हेतु Reg. No. 022203/30/86/AL/TC